फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट- थाना राजेपुर

दिनांक :- 06.04.2024

थाना राजेपुर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी व साइबर ठगी करने वाले 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन**, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री रवीन्द्रनाथ राय के नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुये अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना राजेपुर/एसओजी एवं सर्विलांस टीम द्वारा दिनांक 05.04.2024 को मुखविर की सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तगण को तुसौर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. जेनेन्द्र पुत्र सतीश सिंह निवासी अम्बरपुर थाना राजेपुर।
2. गजेन्द्र सिंह पुत्र कृष्णपाल सिंह निवासी नेकपुर चौरासी कोतवाली फतेहगढ़।
3. संजीव कुमार उर्फ शनि पुत्र रामनरेश निवासी मिया पट्टी थाना अमृतपुर।

घटना का संक्षिप्त विवरण :- थाना राजेपुर क्षेत्र में अभियुक्तगण 1.जेनेन्द्र पुत्र सतीश सिंह निवासी अम्बरपुर थाना राजेपुर, 2.गजेन्द्र सिंह पुत्र कृष्णपाल सिंह निवासी नेकपुर चौरासी कोतवाली फतेहगढ़, 3.संजीव कुमार उर्फ शनि पुत्र रामनरेश निवासी मिया पट्टी थाना अमृतपुर व 4. विशाल त्रिवेदी पुत्र चन्द्रप्रकाश उर्फ कल्लू त्रिवेदी निवासी भुड़िया भेड़ा थाना राजेपुर द्वारा भोले भाले लोगों से झूठ बोलकर फर्जी प्रपत्रों के माध्यम से जस्ट डायल एप के माध्यम से ट्रेड़िग हेतु फर्जी खातों में धन ट्रांसफर करवाते थे तथा ये लोग साइबर ठगी करते थे। अभियुक्तगण ट्रेड़िग तथा बिल वाऊचर तथा फर्म के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर ठगी करने हेतु झांसे में आये लोगों को भेजते थे तथा पैसा उसी एकाउन्ट में डलवाया जाता था जो खाता दूसरे व्यक्ति के नाम पर फर्जी होता था और उसका एटीएम व यूपीआई आइडी में अभियुक्तगण के फर्जी नम्बर लगे होते है तथा जिसका एटीएम इनके पास होते थे उस एकाउन्ट का सारा पैसा निकाल लेते थे । अभियुक्तगण जेनेन्द्र, गनेन्द्र, संजीव कुमार उर्फ शनि उपरोक्त के कब्जे से 04 मोबाइल फोन, 02 एटीएम कार्ड, फर्जी कूट रचित बिल बाउचर 03 वर्क , 01 पैन कार्ड, 87000/- रूपये नकद बरामद हुये। अभियुक्तगण को दिनांक 05.04.2024 को गिरफ्तार कर मु0अ0स0- 26/24 धारा 34/420/406/467/468/471 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तगण जेनेन्द्र, गजेन्द्र व संजीव का आपराधिक इतिहास :-

1. मु0अ0स0- 26/24 धारा 34/420/406/467/468/471 भादवि व 66डी आईटी एक्ट थाना राजेपुर।

पूछताछ का विवरण :- पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम लोग भिन्न भिन्न लोगों को लालच देकर उनके खाता संख्या व एटीएम कार्ड, क्यूआरकोड प्राप्त कर लेते है व जस्ट डायल एप के माध्यम से जो कस्टमर सम्पर्क करते है तो उसे माल भेजने के कीमत(रूपये) को फर्जी अकाउन्ट नम्बर प्रोवाइड़ कर पैसा मांगवाया जाता है यदि कोई कस्टमर बिल चाहता है तो या पैसे की रसीद मांगता है तो हम लोग फर्जी बिल बनाकर भेज देते है । फिर हम लोग ग्राहकों के फोन रिसीव नही करते है जो रूपये हम लोगो को प्राप्त होते है वो हम लोग आपस में बांट लेते है।

बरामदगी का विवरण:-

1. 04 मोबाइल फोन,
2. 02 एटीएम कार्ड,
3. 03 वर्क फर्जी कूट रचित बिल बाउचर,
4. 01 पैन कार्ड की छायाप्रति
5. 87000/- रूपये नकद
6. भिन्न प्रकार के क्यूआर कोड़ / खाता संख्या /एटीएम कार्ड/यू0पी0आई0 आईडी की छायाप्रति

गिरफ्तार करने वाली थाना राजेपुर पुलिस टीमः-

1. निरीक्षक अपराध मो0 कामिल थाना राजेपुर
2. उ0नि0 श्री श्यामबाबू
3. उ0नि0/यूटी श्री अक्षय कुमार
4. हे0का0 प्रमोद कुमार
5. का0 सहदेव

गिरफ्तार करने वाली एसओजी पुलिस टीमः-

1. उप निरीक्षक श्री जितेन्द्र पटेल एसओजी प्रभारी
2. हे0का0 गजराज सिंह
3. हे0का0 बलवीर सिंह
4. का0 दिब्यांशु
5. का0 प्रिंस युवराज
6. का0 विकासचन्द्र
7. का0 करन यादव

गिरफ्तार करने वाली सर्विलांस पुलिस टीमः-

1. उप निरीक्षक श्री विशेष कुमार सर्विलांस प्रभारी
2. हे0का0 संदीप कुमार
3. हे0का0 अजय सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ़

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना कादरीगेट

दिनांक :- 06.04.2024

थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 93/24 धारा- 379/411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को चोरी की गयी मोटर साइकिल सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ **श्री विकास कुमार** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **श्री डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी नगर **श्री प्रदीप कुमार** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा दिनांक 06.04.2024 को मु0अ0सं0- 93/24 धारा- 379/411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त मोनू कटियार को चोरी की गयी मो0सा0 सहित गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण:- वादी मुकदमा अमित कटियार पुत्र राकेश कटियार निवासी होली मोहल्ला भोलेपुर कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना थाना कादरीगेट पर वादी की पत्नी नीतू कटियार के नाम पर रजिस्टर्ड बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल संख्या UP76L8247 को दिनांक 29.03.2024 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 93/24 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में दिनांक 06.04.2024 को अभियुक्त मोनू कटियार को चोरी की गयी मो0सा0 सहित गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

मोनू कटियार पुत्र दुलारे कटियार निवासी भोपत पट्टी थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि यह मोटर साइकिल मैंने दिनांक 29.03.2024 को आवास विकास से चोरी की थी, मुझसे गलती हो गयी।

बरामदगी का विवरण:- 01 क्षतिग्रस्त मो0सा0 UP76L8247

अभि0 मोनू कटियार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0- 93/24 धारा-379/411 भादवि0 थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना कादरीगेट पुलिस :-

1. उ0नि0 दीपक कुमार (चौकी प्रभारी आवास विकास)
2. का0 योगेश कुमार
3. का0 संजीव कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना राजेपुर

दि0- 06.04.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1.शिवचरन कुशवाहा पुत्र पातीराम, 2.अनिल कुशवाहा पुत्र मदनपाल, 3.तिवारी कुशवाहा पुत्र जितेन्द्र सिंह समस्त निवासीगण भरखा थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ मु0अ0सं0- 82/2008 वाद स0- 271/2008 धारा- 304/504/506 भादवि थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **दिनांक 06.04.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे0 08 फर्रूखाबाद द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिध्द कर 03-03 वर्ष का साधारण कारावास व 01-01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।**

एडीजीसी श्री अभिषेक सक्सेना

पैरोकार हे0का0 सुनील कुमार

MAPPLS
SONY
HITACHI
Little Things
mappls.com/rh3j7i
Nehru Road, Bhikampura,
Farrukhabad, Uttar Pradesh, 209...
06-04-2024, 15:44:52
Senapati Street
Neha Nursing Home
Axis Bank ATM
Zila Sahkari Bank
PNB
MAPPLS

GPS Map Camera
Mohammadabad, Uttar Pradesh, India
87, near English Theka, Mohammadabad, Uttar Pradesh 209651, India
Lat 27.306831°
Long 79.435647°
06/04/24 12:43 PM GMT +05:30
Google